

नवीकरण प्रमाण पत्र क्रमांक... 193998

प्रारूप - 9

नियम 8 (2) देखिये

संख्या 17324

दिनांक 20/03/2018



सोसाइटी के नवीकरण का प्रमाण-पत्र  
(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीकरण संख्या 4112 पत्रावली संख्या 1-152147 दिनांक 2007-2008

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि राजीव निर्मल देवपोषर

सोसाइटी, भाग-बकसुखेडा, पोस्ट-अधमैन, जिला-उन्नाव को

दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र 3448 दिनांक 23-02-2008 को दिनांक

23-02-2018 के पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीकृत किया गया है।

1100 रुपये की नवीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है।

जारी करने का दिनांक 20-03-2018

सोसाइटी के रजिस्ट्रार  
उत्तर प्रदेश

*पुनर्वि*  
राजीव निर्मल देवपोषर  
बकसुखेडा-उन्नाव  
दिनांक 20/03/18





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

38AE 89 412

श्री कलश उद्योग एवं राजीव मिल (प्रा.) लि.  
 लखनऊ  
 जिला लखनऊ  
 ६ सिपमनेली



राजीव निर्यात प्रैलकंपन सोलाईदी  
 पञ्चु रोडा-अजमेर-उन्नाव  
 पिन-209831

सत्य प्रति प्रति  
 2408/01

(स्मृति - पत्र)

- (1) संस्था का नाम = राजीव निर्वल वेलफेयर सोसाइटी  
 (2) संस्था का पता = ग्राम-बक्वुखेडा, पोस्ट-अजमेर  
 = जिला-उन्नाव  
 (3) संस्था का कार्य-क्षेत्र = सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।  
 (4) संस्था के सदस्य =

- (1) जन-साधारण का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षिक व आध्यात्मिक विकास करना।  
 (2) शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों/बालिका विद्यालयों/विकलांग विद्यालयों/अल्पसंख्यक विद्यालयों/कालेजों की स्थापना करना जिनमें प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च स्तर तक शिक्षा व्यवस्था करना।  
 (3) ज्ञान वर्धक हितार्थ निःशुल्क पुस्तकालय एवं वाचनालय की व्यवस्था करना।  
 (4) समय-समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम, गिवार गोष्ठी, सेमिनार सम्मेलन खेलकूद प्रतियोगिता, वाद-विवाद प्रतियोगिता, कवि सम्मेलन, योगा कार्यक्रम, जागरूकता शिविर, पलस पोलिंगो प्रतिस्वाण शिविर, स्वास्थ्य शिविर, पेज शिविर, रक्त दान शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी का आयोजन करना।  
 (5) कम्प्यूटर शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना तथा कम्प्यूटर शिक्षा केन्द्रों की स्थापना व शिक्षा व्यवस्था करना।  
 महिलाओं/बालिकाओं/युवाओं को चित्ताई, कढ़ाई, बुनाई, दरदोजी, शिल्पकला, हस्तशिल्प, जलित कला, संगीत, साहित्य, नृत्य, थियेट्र, अभिनय, फोटोग्राफी, क्लियरेटिंग साइटिंग, जरी, थिकन, च्यूटीशियन, फेशन डिजाइनिंग, डाल पेकिंग, फ्लावर पेकिंग, फल प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण, प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, पेंटिंग, वाल पेंटिंग आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वात्मन की भावना जागृत करना।  
 (7) समाज के मूक बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, निधवाओं, बूढ़ों, मजदूरों, कारीगरों तथा निराश्रित, निर्वल, असहाय, बेसहारा, बेरोजगारों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।  
 (8) अनुसूचित जातियों/जनजातियों/अल्पसंख्यकों/दलितों/पिछड़ी जातियों/एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान हेतु कार्य करना।  
 (9) राष्ट्रीय एकता एवं साम्प्रदायिक सदमाव शिविरों का आयोजन करना तथा लोगों में आपसी सौहार्द एवं विश्व बंधुत्व की भावना जागृत करना।  
 (10) समाज कल्याण विभाग उ०प्र० केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड क्वार्ट, अगार्ड, नागार्ड, सिडवी, मानस संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, इनाकरा, सिपसा, सीफ इंडिया, हेल्पेज इंडिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराडह आरसफेम इंडिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, इका, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अल्पसंख्यक विभाग उ०प्र० एवं केन्द्रीय महिला कल्याण निगम, पिछड़ा वर्ग कल्याण निदेशालय उ०प्र० विकलांग कल्याण निदेशालय, उच्चान विभाग, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड, सीमैप द्वारा संचालित महिला (पुर्न) विकास

राज्य प्रतिलिपि

24/06/2024

राजीव निर्वल वेलफेयर सोसाइटी  
 बक्वु खेडा-अजमेर-उन्नाव  
 पिन-209631

कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं, कृषि विकास परियोजनाओं, बाल श्रम विरोध, किसानों कल्याण कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

11. पर्यावरण संरक्षण, नशा उन्मूलन, परिवार कल्याण, नारी सशक्तिकरण, गालिका सशक्तिकरण, जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य कल्याण, टीकाकरण, कुष्ठ उन्मूलन, दहेज उन्मूलन, वैकल्पिक ऊर्जा विकास कार्यक्रम, गृहादोषण, सामाजिक वानिजी, पर्यटन शिक्षा, पर्यटन विकास, गरीबी हरिहाती कार्यक्रम, प्रदूषण नियंत्रण, ऊसर भंडार भूमि सुधार, भूमि एवं जल प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, मधुमयखी पालन, पशु पालन, मत्स्य पालन, दुग्ध विकास, पशु-पक्षी (जीव-जन्तु) एवं संरक्षण तथा निःशुल्क पुनर्वास आदि कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

12. प्रौढ शिक्षा, जनीपचारिक शिक्षा, विज्ञान शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, कम्प्यूटर शिक्षा, इलेक्ट्रॉनिक शिक्षा, कृषि शिक्षा, टाइप-शार्ट हैंड शिक्षा, प्रतियोगितात्मक शिक्षा निःशुल्क दिलाने की व्यवस्था करना।

13. एड्स कौन्सर, पोलियो, टी0वी0, हेपेटाइटिस, मधुमेह आदि जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को सचेत करना।

14. जन हितार्थ निःशुल्क परामर्श-चिकित्सालय, मोबाइल चिकित्सालय जनसंवालय छात्रावास, ध्यायनशाला, विधवा आश्रम, वृद्ध आश्रम, शिशुपालन गृह, बालवाडी, आंगनवाडी, पार्क, सौन्दर्यीकरण अतिथि गृह आदि की निःशुल्क व्यवस्था करना।

15. ग्रामीण स्वच्छता, शुद्ध पेय जल एवं भूमि प्रबंधन कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना तथा ग्रामीण अंचलों में तालाब, टैम्पडम, नाली, सम्पर्क मार्ग, सड़क, लाइट, छहना आदि की निःशुल्क व्यवस्था हेतु प्रयास करना।

16. दैवीय आपदाओं जैसे बाढ़, सूखा, अग्निकांड, भूकम्प, ओलानूटि, तूफान आदि के समय पीड़ितों की हर सम्भन सहायता करना।

17. समाज के भेधादी एवं निर्धन छात्रों को निःशुल्क शिक्षा एवं पुस्तकीय सहायता तथा पुष्ठाहार एवं शैक्षिक परिचयण की व्यवस्था करना।

18. ट्राइसेम योजना/एकीकृत ग्राम्य विकास योजनान्तर्गत महिलाओं एवं वेशीजगारों को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण दिलाकर स्वावलम्बी बनाना तथा सशक्तिका विकास कार्यक्रमों का आयोजन करना।

19. नयी युवा प्रतिभावों को सांस्कृतिक-कार्यक्रमों द्वारा प्रोत्साहित करना तथा नैहरू युवा केन्द्र, भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे गुवा कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार-प्रसार करना।

पेव अरिह

गोला बालिह

चन्द्रिका

योगेश सिंह

अमेश सिंह

इमेश सिंह

श्री जी. व्यस

कृष्ण सिंह

श्री



राज्य अधिकारी

Handwritten signature

राज्य निर्देशक  
राज्य निर्देशक वेतनफेरा सोलडरी  
यवतु खेडा-अजमेर-राज्याय  
दिन-209831



(नियमावली)

- (1) संस्था का नाम                    :: राजीव निर्मल बैलफेयर सोसाइटी  
 (2) संस्था का पता                    :: ग्राम-बकुखेड़ा, पोस्ट-अलमैन  
   :: जिला-सलाब  
 (3) संस्था का कार्य-क्षेत्र        :: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।  
 (4) संस्था के सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग        ::

आजीवन सदस्य                    ::

जो व्यक्ति संस्था को निस्वार्थ भाव से एक मुश्त रुमरा 1000/- नकद या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति प्रदान करेगा, वह व्यक्ति संस्था का आजीवन सदस्य बनाया जायेगा।

सामान्य सदस्य                    ::

जो व्यक्ति संस्था के सदस्यों में आस्था रखते होंगे व संस्था 10/-रुपया वार्षिक सदस्यता शुल्क देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

(5) सदस्यता की समाप्ति ::

- (1) मृत्यु हो जाने पर।
- (2) भागल या दिवालिया हो जाने पर।
- (3) संस्था के प्रति हानिकारक कार्य करने पर।
- (4) किसी न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
- (5) नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न जमा करने पर।
- (6) अविश्वास प्रस्ताव एवं त्याग पत्र पारित होने पर।
- (7) लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर।

(6) संस्था के अंग ::

- (अ) साधारण सभा
- (ब) प्रबन्धकारिणी समिति।

(7) साधारण सभा ::

गठन ::

संस्था के आजीवन एवं सामान्य सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा का गठन

बैठकें ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार सूचना देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि ::

साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों को 15 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

समाप्ति ::

साधारण सभा की समाप्ति के लिए कुल सदस्यों की 75% उपस्थिति आवश्यक होगी।

साधारण सभा की समाप्ति के लिए कुल सदस्यों की 75% उपस्थिति आवश्यक होगी।

24/06/2021



सुवेडा सिंह  
 राजीव सिंह  
 एडवोकेट  
 योगेश सिंह

राजीव निर्मल बैलफेयर सोसाइटी  
 बकुखेड़ा-अलमैन-सलाब  
 पिन-209831

उपस्थिति आवश्यक होगी।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :-

संघारण समिति का वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा, जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा तय की जाएगी।

संघारण समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-

- (1) प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव करना।
- (2) संस्था का वार्षिक बजट पास करना।
- (3) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना।
- (4) संस्था की नीतियों का निर्धारण करना।
- (5) संशोधन प्रक्रिया 2/3 सदस्यों के बहुमत से करना।

(8) प्रबन्धकारिणी समिति :-

गठन :-

संघारण समिति द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष-1, उपाध्यक्ष-1, सचिव-1, कोषाध्यक्ष-1, तथा सदस्य-5 होंगे। कुल संख्या-9(नौ) होगी। जो आवश्यकतानुसार बढ़ाकर 16 तक की जा सकती है।

देवके :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में बार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार देकर किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचना अवधि :-

प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सदस्यों व पदाधिकारियों को 7 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 3 दिन पूर्व देना आवश्यक होगा।

गणपूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति के लिए कुल सदस्यों में से 2/3 सदस्यों की उपस्थिति आवश्यक होगी।

स्थानों की पूर्ति :-

प्रबन्धकारिणी समिति के अन्दर रिक्त स्थान होने पर उसकी पूर्ति संघारण समिति के 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा शेष कार्यकाल के लिए की जाएगी।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार एवं कर्तव्य :-


- (1) संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना।
- (2) संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
- (3) संस्था की वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना।
- (4) समाज कल्याण विभाग त्र0प्र0, केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार

राजीव निर्वल देलफेयर सोसाईटी  
यफ् यू सेडा-अपगैन-उन्नाय  
पिन-209831

सत्य प्रतिनिधि

बोर्ड, कपार्ट अवाह, नावाह सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, डवाकरा, सिपसा, सेफ इण्डिया, हेल्पज इण्डिया, राजीव फाउण्डेशन, नौराड, आक्सफैम इण्डिया, केयर, राष्ट्रीय महिला कोष, विश्व बैंक, सूडा, दुधा, विश्व

नाम  
24 06 2021



येकरा लिह

गनोज लिह

43 11



संस्थाध्यक्ष, अल्पसंख्यक विभाग, पिछड़ा वर्ग कल्याण निर्देशालय तदप्रद, विकासंग कल्याण निर्देशालय, महिला एवं बाल विकास, पर्यावरण विभाग, दामशील व्यक्तियों द्वारा दान, अनुदान इत्यादि प्राप्त कर संस्था के उद्देश्यों में लगाना।

### कार्यकाल :-

प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

9) प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार एवं कर्तव्य :-

### अध्यक्ष :-

- (1) समस्त बैठकों की अध्यक्षता करना।
- (2) बैठकों के लिए दिनोंको का अनुमोदन करना, परिवर्तन करना तथा बैठकों को स्थगित करना।
- (3) समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
- (4) बैठक में शान्ति व्यवस्था बनाये रखना।
- (5) संस्था के कार्यों को मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
- (6) सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
- (7) समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना।
- (8) पारित बजट को अन्तर्गत व्यय की शीकृति देना।
- (9) राजस्वीय सहायता, अनुदान व भ्रम प्राप्त करना।
- (10) कर्मचारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति व वेतनवृद्धि करना।
- (11) संस्था के मिल-बातघरों, अनुबन्ध पत्रों, संविदा पत्रों, आहरण पत्रों, नियुक्ति पत्रों, लेखों-विलेखों, बन्धक पत्रों, डिमान्ड पत्रों आदि पर हस्ताक्षर करना।
- (12) संस्था की ओर से अदावती कार्यावाही करना।
- (13) संस्था के अभिलेख व प्रपत्र सुरक्षित करना।
- (14) संस्था की चल-अचल सम्पत्ति की सुरक्षा व संरक्षण नियंत्रण करना।
- (15) संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।

### उपाध्यक्ष :-

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा प्रदत्त अधिकारों को पालन करना व उसके कार्यों में सहयोग देना।

### सचिव :-

- (1) संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।
- (2) सदस्यों व पदाधिकारियों को बैठकों की सूचना देना।
- (3) सदस्यों का नाम रजिस्टर में नोट करना।
- (4) संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
- (5) पिछली कार्यवाही बैठक में पढ़कर सुनाना व लिपिबद्ध करना।
- (6) संस्था के विकास के लिए आवश्यक कार्य करना।

### सोपाध्यक्ष :-

संस्था प्रतिनिधि

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

राजीव मिश्र  
उपाध्यक्ष  
बन्धु सेवा-अजमेर-उन्नाव  
पिन-208831

कर्मचारी

*(Handwritten signature)*



- (1) संस्था को आय व्यय का लेखा जोखा करना।
- (2) अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित विलों का नियमानुसार गुप्तान करना।
- (3) सदस्यों से धनदा, सदस्यता शुल्क व अन्य श्रोतों से धन प्राप्त करना तथा विधि रसीदें देना।
- (10) संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :-  
साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परिवर्तन एवं परिष्करण किया जायेगा।
- (11) संस्था का कोष :-  
संस्था का कोष राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट ऑफिस में संस्था के नाम खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष के संयुक्त हस्ताक्षरों से होगा।
- (12) संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट)  
संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष योग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा।
- (13) संस्था को द्वारा अथवा उसके विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व  
संस्था द्वारा होने वाले एक-विषय के मुकदमों की पैरवी अध्यक्ष या उसके द्वारा अधिकृत अन्य किसी व्यक्ति द्वारा की जायेगी।
- (14) संस्था के अभिलेख :-
  - (1) सदस्यता रजिस्टर
  - (2) कार्यवाही रजिस्टर
  - (3) स्टॉक रजिस्टर
  - (4) कॅश बुक, (5) एजेंडर रजिस्टर
- (15) संस्था के विघटन और निवृत्ति सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13व14 के अन्तर्गत की जायेगी।

दिनांक = 9-2-2008

(सत्य प्रतिलिपि)

हस्ताक्षर =



1. सुकान्त सिंह  
2. मनोज सिंह  
3. नरेंद्र सिंह  
4. मोहन सिंह

सत्य प्रतिलिपि

24/02/08

अध्यक्ष  
राष्ट्रीय निर्वल खेलकूद सोसाइटी  
एन सी ई आर टी ई  
पिन-209831